

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,  
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 81/2010 मु.फौ.

संस्थापन दिनांक : 08/10/2010

1-रिन्की पुत्री सुरेशचन्द्र जैन पत्नी अनूपचन्द्र जैन उर्फ तेजकुमार जैन आयु 22 वर्ष जाति जैन निवासी वार्ड नं0 5 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

2-शिवदत्त पुत्र अनूपचन्द्र जैन उर्फ तेजकुमार आयु 5 माह नाबालिग सरपरस्त मां स्वयं रिन्की पत्नी अनूपचन्द्र जैन निवासीगण वार्ड नं0 6 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— आवेदकगण

#### बनाम

अनूपचन्द्र उर्फ तेजकुमार जैन आयु 37 वर्ष पुत्र मुलायमचन्द्र जैन जाति जैन निवासी ग्राम आरौन तहसील आरौन जिला गुना म.प्र.

— अनावेदक

( आवेदन अंतर्गत धारा 125 द.प्र.स. )

( आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री गिराज भट्टेले )

( अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री अशोक पचौरी )

#### आदेश

( आज दिनांक 30-01-2018 को पारित )

1. इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 125 द0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।
2. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि, आवेदिका क01 की शादी दिनांक 17.06.09 को अनावेदक के साथ हिन्दू रीतिरिवाज से संपन्न हुई थी तथा शादी के बाद आवेदिका क01 एवं अनावेदक के पुत्र शिवदत्त आवेदक क02 उत्पन्न हुआ था जो वर्तमान में आवेदिका क01 की सरपरस्ती में रह रहा है। विवाह में आवेदिका क01 के पिता ने काफी सामान सोने चांदी का जेवर, एक लाख रुपये नगद एवं घर गृहस्थी का सामान दिया था विवाह के कुछ समय पश्चात ही अनावेदक एवं उसके परिवार वाले

आवेदिका को कम दहेज लाने का ताना देने लगे तथा अनावेदक आवेदिका से दहेज में एक मोटरसाइकिल, हाथ घड़ी एवं एक सोने की जंजीर की मांग करने लगा तथा आवेदिका की मारपीट करने लगा। अनावेदक अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर आवेदिका से दहेज की मांग करने लगा एवं उसकी मारपीट कर उसे यातनाएं देने लगा। आवेदिका ने उक्त शिकायत अपने पिता से की थी तो उसके पिता ने ससुराल आकर अनावेदक एवं उसके परिवारजन को समझाया था लेकिन अनावेदक नहीं माना था और दहेज की मांग पर अड़ा रहा था। दिनांक 25.05.10 को शाम करीबन 6 बजे अनावेदक एवं उसके परिवारजन आवेदकगण को बंद मार्शल में लेकर आए थे एवं गोहद इटायली गेट के पास उन्हें छोड़कर चले गए थे और आवेदिका से कहा था कि जब तेरे पिता के पास दहेज देने को हो जाए तभी वापिस आना नहीं तो अपने पिता के घर जिंदगी भर पड़े रहना। अनावेदक ने आवेदिका का भरण पोषण करने से इंकार कर दिया है तथा विवाह में दिया सामान जेवर अनावेदक ने अपने पास रख लिया है। अनावेदक ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदकगण का भरण पोषण करने से इंकार कर दिया है। आवेदिका ने पुलिस में भी रिपोर्ट की थी परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई थी आवेदिका मजबूरन अपने पुत्र सहित अपने पिता के घर निवासरत है। अनावेदक के पास ग्राम आरौन में ढाई सौ बीघे कृषिभूमि है एवं हारवेस्टर, थ्रेशर, टेक्टर, मोटरसाइकिल आदि उपकरण हैं। अनावेदक के पास दो पक्के मकान हैं जिसमें किराएदार रहते हैं। अनावेदक स्वयं के मकान में दुकानदारी करता है। अनावेदक कृषिभूमि से सालाना पांच लाख रुपये कृषि उपकरण हारवेस्टर से एक लाख रुपये एवं दुकान से दो लाख रुपये वार्षिक तथा थ्रेशर से पचास हजार रुपये वार्षिक एवं किराए से पचास हजार रुपये वार्षिक कुल 9 लाख रुपये वार्षिक कमाता है। अनावेदक शरीर से हष्टपुष्ट है। अतः आवेदकगण को अनावेदक से कुल आठ हजार रुपये प्रतिमाह भरणपोषण दिलाया जावे।

3. अनावेदक द्वारा आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि आवेदिका क्र01 के पिता द्वारा विवाह में कोई सामान जेवर नगदी इत्यादि नहीं दी गई थी बल्कि विवाह में टैन्ट एवं भोजन का खर्च तथा धर्मशाला का किराया भी अनावेदक के पिता द्वारा वहन किया गया था। अनावेदक एवं उसके परिवारजन द्वारा कभी भी आवेदिका से दहेज की मांग नहीं की गई थी बल्कि आवेदकगण को सुखपूर्वक रखा गया था। आवेदिका क्र01 के अपने जीजा हैप्पी से अवैध संबंध हैं तथा विवाह उपरांत भी वह अधिक समय तक अपने जीजा हैप्पी के साथ रहती है और वर्तमान में जीजा हैप्पी के साथ भिण्ड में निवासरत है। दिनांक 19.07.2009 को आवेदिका क्र01 हैप्पी के साथ अकेली आरौन से आई थी तथा 9 अगस्त 2009 तक अपने जीजा हैप्पी के साथ भिण्ड में रही थी आवेदिका क्र01 आए दिन अपने जीजा हैप्पी से मोबाइल पर घण्टों अश्लील बातें करती है। आवेदिका क्र01 ने 21-22 अप्रैल 2010 को उसे मोबाइल पर गर्भवती होने की सूचना दी थी तो अनावेदक उसे दिनांक 23 अप्रैल 2010 को मनोहर थाना से लेकर आरौन लाया था तथा 7 मई 2010 को गुना शासकीय अस्पताल में आवेदक क्र02 का जन्म हुआ था जिसका पूरा खर्च लगभग 35 हजार रुपये अनावेदक ने उठाया था। दिनांक 15 मई 2010 को आवेदिका रिन्की अस्पताल से डिस्चार्ज होकर ससुराल गई थी तथा 19 मई 2010 को रिन्की ने अपने भाई दीपक जैन एवं एक नकली दरोगा कमलेश सोनी को बुला लिया था तथा आवेदिका क्र01 उनके साथ खाने पीने के बर्तन कीमती कपड़े 12 तौले सोने के आभूषण 300 ग्राम चांदी के आभूषण एवं 2200 रुपये नगद लेकर कस्बा मनोहर थाना चली गई थी अनावेदक कई बार आवेदकगण को लेने गया था परंतु आवेदिका रिन्की ने आने से इंकार कर दिया था। आवेदिका बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने जीजा के साथ भिण्ड में रह रही है। अनावेदक सीधासाधा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है एवं किराने की

दुकान पर 1800 रुपये प्रतिमाह मजदूरी करता है लेकिन आवेदिका के घर गृहस्थी का सामान लेकर चले जाने पर और जीजा हैप्पी के साथ अवैध संबंध सीपित कर लेने के कारण अनावेदक की समाज में बदनामी हो रही है जिस कारण वह मजदूरी नहीं कर पा रहा है अनावेदक तनावग्रस्त रहता है। अनावेदक के पास आय का कोई साधन नहीं है। अनावेदक के पास टेक्टर टॉली थ्रेशर हारवेस्टर कृषिभूमि दुकान इत्यादि नहीं है। अनावेदक स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है जबकि आवेदिका पढीलिखी हष्टपुष्ट महिला है जो अपने जीजा हैप्पी की रैडीमेड कपडों की भिण्ड में स्थित दुकान पर बैठकर रोजगार कर रही है एवं रोजाना एक हजार रुपये कमा रही है। आवेदिका का कस्बा गोहद में केईनिवास नहीं है। आवेदिका के पिता स्थाई रूप से कस्बा मनोहर थाना जिला झालावाड में निवासरत हैं। कस्बा गोहद में आवेदिका के पिता का कोई मकान दुकान नहीं है। आवेदिका द्वारा असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए गए हैं कि :-

1. क्या आवेदिका स्वयं एवं अपने नाबालिग पुत्र हेतु 8 हजाररुपये प्रतिमाह की दर से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। ?
2. क्या आवेदिका जारता का जीवन यापन कर रही है।
3. क्या आवेदिका बिना किसी युक्ति युक्त कारण से अनावेदक से अलग रह रही है ?
4. सहायता एवं व्यय?

5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदिका द्वारा आवेदिका रिन्की जैन स्वयं आ0सा01 के अतिरिक्त साक्षी सुरेश चन्द्र जैन आ0सा02 को परीक्षित कराया गया है एवं अनावेदक साक्ष्य में अनावेदक अनूप अना0सा01 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है।

// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण //

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02 एवं 3 //

6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदिका रिन्की जैन अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि उसकी शादी अनावेदक अनूप के साथ 17.06.09 में बजरंगगण से हुई थी। उसके एवं अनूप के एक पुत्र शिवादित्य का जन्म हुआ था जो उसके पास ही रह रहा है। शादी में उसके पिता ने एक लाख रुपये नगद साढ़े तीन तौले सोना , कूलर, टीवी, फ्रिज, पलंग इत्यादि सारा सामान दिया था। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे थे और उससे कहने लगे थे कि उन्हें सोने की चैन, घड़ी एवं मोटरसाइकिल चाहिए जब उसने यह बात अपने पिताको बताई थी तो उसके पिता ने पैसे न होने से अनावेदक को सामान एवं पैसा नहीं दिया था इस कारण उसकी ससुराल वाले बार-बार उसे मायके छोड़ आते थे तथा उसकी मारपीट भी करते थे। उसका पति मारपीट करता था और ससुराल के अन्य लोग मिलकर उसे पिटवाते थे उसके पिता ने इस बारे में काफी पंचायत भी कराई थी परंतु उसकी ससुराल वाले नहीं माने थे और बराबर उसकी मारपीट करते रहे थे और उसे बार-बार मायके छोड़ आते थे। उसके पुत्र का जन्म उसकी ससुराल आरौन में हुआ था। 25 मई 2010 को उसकी ससुराल वाले उसकी

मारपीट कर उसे मार्शल गाडी में बिठाकर गोहद इटायली गेट के पास छोड गए थे और कह गए थे कि उक्त सामान लेकर ही आना। उसके पिता ने फिर पंचायत कराई थी परंतु वह लोग नहीं माने थे और कहते रहे थे कि अगर आपके पास चैन, घडी व मोटरसाइकिल देने के लिए हो तभी लडकी को हमारे यहां लेकर आना अन्यथा नहीं आना फिर उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र04 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके पिता करीब 8-9 साल से राजस्थान में कपडों का व्यवसाय करते हैं। उसके पिता राजस्थान में कस्बा मनोहर थाना में निवास व व्यापार करते हैं। पद क्र05 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसका लडका 7 मई 2010 में हुआ था। 7 मई 2010 से करीब 2 माह पहले वह अपने मायके आई थी। पद क्र09 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे सही याद नहीं है कि शादी के बाद 19 जुलाई 2009 को वह अपनी ससुराल से जीजा हैप्पी के साथ आई थी। पद क्र010 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका लडका ऑपरेशन से गुना में पैदा हुआ था एवं यह भी स्वीकार किया है कि वह अस्पताल में 7 दिन तक भर्ती रही थी एवं 7 दिनों तक उसके इलाज एवं देखरेख का व्यय उसके ससुराल वालों ने वहन किया था। वह 14 मई के बाद अपनी ससुराल चली गई थी। पद क्र011 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि 19 मई को वह अपने पति के साथ प्रतिपुर गई थी।

9. आवेदिका साक्षी सुरेश चन्द्र जैन अ0सा02 ने भी आवेदिका रिन्की अ0सा01 के कथन के समर्थन में साक्ष्य दी है एवं अनावेदक द्वारा रिन्की की मारपीट करने तथा दिनांक 25 मई 2010 को मारपीट कर गोहद छोड देने बाबत प्रकटीकरण किया है। ?

10. अनावेदक अनूप अना0सा01 ने आवेदिका के कथनों का खंडन करते हुए न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी रिन्की के साथ 17 जून 2009 को बजरंगगण के धार्मिक क्षेत्र जिला गुना में हुई थी। शादी की धर्मशाला उसके पिता ने बुक कराई थी तथा खाने पीने का बंदोबस्त भी उनके द्वारा किया गया था। शादी के बाद आवेदिका ससुराल आ गई थी। शादी के बाद से ही आवेदिका अपने जीजा हैप्पी से मोबाइल से बात करती थी और कहती थी कि मैं आजाद रहूंगी जब रिन्की उसके साथ रहती थी तो उसी समय हैप्पी रिन्की को कार में बिठाकर भिण्ड ले गया था फिर रिन्की एक डेढ महीने अपने जीजा के साथ रही थी। वह मेहगांव शादी में आया था उस समय रिन्की भिण्ड में थी उसने रिन्की से जाने के लिए कहा था तो रिन्की ने मना कर दिया था फिर वह अकेला घर चला गया था। कुछ समय बाद रिन्की मनोहर थाना पहुंच गई थी वहां से रिन्की ने उसे फोन किया था तो वह रिन्की को लेकर आरोन आया था दो चार दिन बाद रिन्की के डिलीवरी हुई थी उसके एक हफ्ते बाद रिन्की को अस्पताल से घर लाए थे कुछ दिन बात रिन्की उससे लडने लगी थी उसने अपने भाई दीपेश एवं कमलेश सोनी को बुला लिया था फिर रिन्की उनके साथ दस तौले सोने एवं ढाई सौ ग्राम चांदी के जेवर लेकर बसस्टेण्ड चली गई थी और वहां से पता नहीं कहां चली गई थी। कुछ समय बाद वह आवेदिका को लेने मनोहर थाने गयाथा तो रिन्की ने उसके साथ आने से मना कर दिया था रिन्की अपने जीजा हैप्पी के साथ भिण्ड में रह रही है उसने रिन्की को रखने के लिए पंचायत भी जोडी थी परंतु रिन्की ने कहा था कि शहर में रहूंगी गांव में नहीं रहूंगी।

11. तर्क के दौरान आवेदिका अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि अनावेदक ने आवेदिका से दहेज की मांग की है तथा इसी क्रम में अनावेदक ने आवेदकगण को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है जिसके कारण आवेदकगण अनावेदक से पृथक निवासरत है जबकि अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान व्यक्त किया गया है कि अनावेदक एवं उसके परिवारजन ने कभी भी आवेदिका से दहेज की मांग नहीं की है एवं आवेदिका अपने जीजा हैप्पी के साथ जारता की दशा में रह रही है।



12. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका रिन्की जैन अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि शादी के बाद से ही अनावेदक एवं उसके परिवारजन उससे दहेज में सोने की चैन, घड़ी एवं मोअरसाइकिल लाने के लिए कहते थे तथा न लाने पर उसकी मारपीट करते थे तथा उसे बार-बार मायके छोड़ आते थे। इसी क्रम में अनावेदक एवं उसके परिवारजन 25 मई वर्ष 2010 को उसकी मारपीट कर उसे उसके मायके इटायली गेट गोहद छोड़ गए थे तब से वह अपने पुत्र आवेदक क02 के साथ अपने मायके में निवासरत है। अनावेदक द्वारा आवेदिका के उक्त कथनों का खंडन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि आवेदिका अपने जीजा हैप्पी के साथ जारता की दशा में रह रही है।

13. इस प्रकार अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका अपने जीजा हैप्पी के साथ भिण्ड शहर में जारता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। आवेदिका के माता-पिता कस्बा मनोहर थाना में रहते हैं। आवेदिका कस्बा गोहद में निवासरत नहीं है। अनावेदक द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका रिन्की के माता-पिता कस्बा मनोहर थाना जिला झालावाड में निवासरत हैं एवं आवेदिका गोहद में निवास नहीं करती है बल्कि अपने जीजा हैप्पी के साथ भिण्ड में रहती है परंतु अनावेदक द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आवेदिका रिन्की गोहद में न रहकर भिण्ड में अपने जीजा हैप्पी के साथ निवासरत है। यद्यपि आवेदिका रिन्की अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसके मातापिता करीब 8-9 साल से राजस्थान में कपड़ों का व्यवसाय करते हैं तथा कस्बा मनोहर थाना में ही निवास करते हैं परंतु उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि वह गोहद में रहती है। आवेदिका द्वारा अपने मूल आवेदन में भी वार्ड नं06 गोहद का पता लिखाया गया है। आवेदिका रिन्की अ0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि अनावेदक 25 मई वर्ष 2010 में उसे इटायली गेट गोहद छोड़कर गया था। आवेदिका साक्षी सुरेश चन्द्र जैन अ0सा02 द्वारा भी आवेदिका रिन्की अ0सा01 के उक्त कथन का समर्थन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि अनावेदक 25 मई 2010 को आवेदिका को उनके घर छोड़ गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसकी पत्नि और बच्चे मनोहर थाना में रहते हैं लेकिन उसका लडका गोहद में रहता है। इस प्रकार सुरेश चन्द्र जैन अ0सा02 के कथनों से भी यह दर्शित है कि सुरेशचन्द्र जैन कालडका अर्थात् आवेदिका रिन्की का भाई गोहद में निवास करता है।

14. अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि आवेदिका ने प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदक क02 शिवादित्य किस विद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर रहा है उक्त संबंध में कोई दस्तावेज या प्रमाण आवेदिका द्वारा प्रकरण में पेश नहीं किया गया है यद्यपि यह सत्य है कि आवेदिका द्वारा शिवादित्य के अध्ययन के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परंतु उक्त तथ्य इतना तात्त्विक नहीं है एवं मात्र उक्त आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदिका गोहद में निवास नहीं करती है। अनावेदक द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका अपने जीजा हैप्पी के साथ भिण्ड में जारता की दशा में रह रही है ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार अनावेदक पर था परंतु अनावेदक द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आवेदिका हैप्पी के साथ जारता की दशा में रह रही है। अनावेदक द्वारा उक्त संबंध में स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी का कथन भी नहीं कराया गया है अनावेदक द्वारा ऐसे किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है जिसने आवेदिका को हैप्पी के साथ भिण्ड में निवास करते देखा हो ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित

नहीं होता है कि आवेदिका रिन्की अपने जीजा हैप्पी के साथ भिण्ड में जारतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है।

15. अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि आवेदिका ने दिनांक 25.05.2010 को अनावेदक एवं उसके परिवारजन द्वारा उसे इटायली गेट गोहद छोड़ जाना बताया है परंतु उक्त संबंध में कोई पुलिस रिपोर्ट आवेदिका द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अनावेदक का उक्त तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है मात्र पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत न करने से आवेदिका के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

16. अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि आवेदिका ने दहेज प्रताड़ना का झूठा मामला अनावेदक एवं उसके परिवारजन के विरुद्ध पेश किया था जिसमें अनावेदक एवं उसके परिवारजन दोषमुक्त हो चुके हैं। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि दहेज प्रताड़ना के मामले में बचाव पक्ष की ओर से प्र0डी02 एवं प्र0डी08 के दस्तावेज पेश किए गए थे जिसमें आवेदिका ने यह वर्णित किया था कि उसे परिवारजन ने दिनांक 19.05.10 को पहने हुए कपड़ों में आरौन से निकाल दिया था, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका ने इटायली गेट गोहद पर मारपीट कर धक्का देकर छोड़ देना बताया है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर आवेदिका के कथन विरोधाभासी रहे हैं, परन्तु अनावेदक अधिवक्ता का यह तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है। अनावेदक द्वारा यह तर्क किया गया है कि दहेज प्रताड़ना के मामले में बचाव पक्ष की ओर से जो प्र0डी0 02 एवं प्र0डी0 08 के दस्तावेज पेश किये गये थे, उसमें आवेदिका ने दिनांक 19.05.2010 को अनावेदक एवं उसके परिवारजन द्वारा घर से निकाल देना बताया है। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रत्येक मामले का निराकरण उसमें प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर ही किया जाता है। अनावेदक की ओर से किये गये तर्क के संबंध में कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदिका ने दिनांक 25.05.2010 को अनावेदक द्वारा इटायली गेट गोहद में छोड़ने वाली बात असत्य बताई है।

17. अनावेदक द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आवेदिका ने उसके एवं उसके परिवारजन के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का झूठा मामला लगाया था। जिसमें अनावेदक दोषमुक्त हो चुका है इससे भी यह भी प्रमाणित होता है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत है परन्तु बचावपक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। दहेज प्रताड़ना के आपराधिक मामलों में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है एवं प्रस्तुत प्रकरण भरण पोषण से संबंधित है तथा भरण पोषण के मामलों में आवेदकगण को अपना मामला अधिसंभावना की प्रबलता के स्तर तक प्रमाणित करना होता है। युक्तियुक्त संदेह से परे तथ्यों को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। अतः यदि अनावेदक आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त भी हो चुके हैं तो भी उससे प्रस्तुत प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

18. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका रिन्की जैन अ0सा0 01 ने अपने कथन में यह बताया है कि अनावेदक एवं उसके परिवार वाले शादी के बाद से ही उसे सोने की चैन, घड़ी एवं मोटरसाईकिल दहेज में लाने के लिए परेशान करते थे तथा इसी क्रम में अनावेदक एवं उसके परिवारजन 25.05.2010 को उसकी मारपीट कर उसे मायके छोड़ गये थे तब से वह अपने मायके में निवासरत है। आवेदक साक्षी सुरेश चंद्र जैन अ0सा0 02 द्वारा भी आवेदिका रिन्की अ0सा0 01 के कथन का समर्थन किया गया है एवं अनावेदक द्वारा रिन्की से दहेज की मांग करने तथा इसी क्रम में रिन्की को मारपीट कर गोहद छोड़ जाने बावत् प्रकटीकरण किया है। अनावेदक द्वारा उक्त साक्षीगण का पर्याप्त

प्रतिपरीक्षण किया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन तात्विक विसंगतियों से परे रहा है। अनावेदक द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका रिंकी जारता की दशा में रह रही है परन्तु अनावेदक द्वारा उक्त संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि आवेदिका जारता की दशा में रह रही है।

19. प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण का त्याग कर दिया गया है तभी आवेदिका अपने पुत्र सहित अपने मायके में निवासरत है। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत है।

### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 //

20. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका रिंकी आ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह कुछ नहीं करती है, उसके पास भरण पोषण का साधन नहीं है। अनावेदक के पास पिपरिया में करीब ढाई सौ बीघा खेती है व आरौन में मकान एवं किराने की दुकान है। अनावेदक के पास हारवेस्टर मशीन, थ्रेसर व तीन टेक्टर है। आरौन स्थित दो मकानों में से एक मकान किराये पर है उसे अनावेदक से प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में 8-9 हजार रुपए दिलाये जाये। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 07 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने अपने पति के जमीन के कागज नहीं देखे हैं, केवल जमीन देखी है। उसने टेक्टर हारवेस्टर मशीन व थ्रेसर के कागज नहीं देखे हैं, केवल मशीन देखी है।

21. आवेदक साक्षी सुरेश चंद्र जैन अ0सा0 02 ने भी आवेदिका रिंकी जैन अ0सा0 01 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि रिंकी कोई काम धंधा नहीं करती है उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। रिंकी का लड़का स्कूल में पढ़ता है जिसका खर्च वह और उसकी पुत्री उठाते हैं। अनावेदक के यहां लगभग 200 बीघा जमीन है, दो टेक्टर है जिससे साल में एक फसल से लगभग 7 लाख रुपए की आय प्राप्त होती है। अनावेदक किराने की दुकान चलाता है जिससे उसे लगभग 10-15 हजार रुपए प्रति माह की आमदनी होती है। उसकी पुत्री को अनावेदक से भरण पोषण के लिए 10 हजार रुपए प्रति माह की आवश्यकता है।

22. अनावेदक अनूप अना0सा0 01 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि रिंकी कपड़े सिल लेती है। वह रेडीमेड कपड़े का काम करती है तथा प्राइवेट स्कूल में भी जाती है। उक्त काम करके रिंकी करीब 2-5-10 हजार रुपए महीने कमा लेती है। वह पिपरिया में रहकर खेती करता है। उसके पास मात्र 5 बीघा भूमि है। केसो की बजह से उसकी स्थिति खराब हो गई है, वह परेशान रहता है।

23. अनावेदक अनूप अना0सा0 01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका रिंकी कपड़े सिल लेती है वह रेडीमेड कपड़ों का काम करती है तथा प्राइवेट स्कूल भी जाती है एवं उपरोक्त कार्य से वह 2-5-10 हजार रुपए प्रति माह कमा लेती है परन्तु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य अनावेदक द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अनावेदक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवेदिका किस प्राइवेट स्कूल में जाती है। अनावेदक द्वारा उक्त संबंध में स्कूल का प्रमाणीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि अनावेदक की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आवेदिका रिंकी आय अर्जित करती है परन्तु यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाये कि आवेदिका रिंकी द्वारा सिलाई का कार्य करके कुछ आय



अर्जित की जाती है तो भी इससे अनावेदक का आवेदकगण का भरण पोषण करने का दायित्व कम नहीं होता है।

24 आवेदिका रिंकी अ0सा0 01 एवं सुरेशचंद्र जैन अ0सा0 02 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक के पास करीब ढाई सौ बीघा जमीन है तथा अनावेदक की किराने की दुकाने हैं। अनावेदक 8-9 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा लेता है। सुरेशचंद्र जैन अ0सा0 02 द्वारा भी आवेदिका रिंकी अ0सा0 01 का समर्थन किया गया है परन्तु आवेदकगण की ओर से अनावेदक के पास खेती, मकान, दुकान होने के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रदर्शित नहीं कराये गये हैं। आवेदकगण द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि द0प्र0सं0 की धारा 125 में जो "पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति" वाक्य का प्रयोग किया गया है उसका अभिप्राय केवल प्रकट सम्पत्ति या यथासाध्य, सम्पदा, राजस्व या निश्चित रोजगार ही नहीं हैं उसमें कमाने की क्षमता का भी समावेश है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ एवं सक्षम शरीर वाला है तो यह माना जायेगा कि उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिये पर्याप्त साधन हैं।

25. भरण पोषण के आदेश हेतु यह कतई आवश्यक नहीं है कि पति सम्पत्ति धारण करता हो जब तक पति शारीरिक रूप से स्वस्थ और कार्य करने तथा कमाने में सक्षम हो पत्नी को सहारा देना उसका कर्तव्य है चाहे वह दिवालिया, विक्षुप्त, अवयस्क, साधू या सन्यासी ही क्यों न हो। यह एक व्यक्तिगत दायित्व है जो विवाह के क्षण से ही पति के साथ युक्त हो जाता है।

26. यद्यपि आवेदिका अ0सा0 01 द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु अनावेदक द्वारा अपने लिखित तर्क में स्वयं यह वर्णित किया है कि वह खेतीहर मजदूर व्यक्ति है तथा मजदूरी करके स्वयं का भरण पोषण कर पा रहा है। इस प्रकार अनावेदक अनूप अना0सा0 01 द्वारा किये गये तर्क से यह स्पष्ट है कि अनावेदक मजदूरी करने में सक्षम है एवं यदि अनावेदक महीने में 25 दिन भी मजदूरी करता है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से छः हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह कमाने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। उपर वर्णित चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है एवं अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है।

27 अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। उक्त संबंध में रिंकी जैन अ0सा0 01 ने अपने कथन में अनावेदक से भरण पोषण दिलाने की मांग की है। अनावेदक का भी ऐसा कहना नहीं है कि वह आवेदकगण का भरण पोषण करता है। आवेदिका रिंकी अनावेदक की विवाहिता पत्नि है एवं आवेदक क0 02 शिवदत्त अनावेदक का पुत्र है एवं पति तथा पिता होने के नाते अनावेदक का यह धार्मिक एवं पुनीत कर्तव्य है कि वह आवेदकगण का भरण पोषण करे अनावेदक द्वारा अपने इस कर्तव्य के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है अतएव आवेदकगण को अनावेदक से भरण पोषण की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान समय की मंहगाई आवेदिका रिंकी के दैनिक खर्च, आवेदक शिवदत्त की पढाई लिखाई एवं अनावेदक की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका रिंकी को अनावेदक से 1500/- रुपये प्रतिमाह एवं आवेदक शिवदत्त को अनावेदक से 1500/- रुपए प्रतिमाह कुल 3000/- हजार रुपए की राशि प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।



सहायता एवं व्यय

28 फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से आवेदकगण यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि वह अनावेदक से पर्याप्त कारणों से पृथक निवासरत है, आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, एवं अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है तथा अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण न करके अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा वरती जा रही है।

29 फलतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक से प्रतिमाह आवेदिका रिकी को 1500/- रूपए एवं आवेदक शिवदत्त को 1500/- रूपए कुल 3,000/- रूपए की राशि भरण पोषण के रूप में अदा करे।

स्थान—गोहद

दिनांक—30.01.2018

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)